बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या-5/आ०-4-102/2013- 548 पटना, दिनांक- 21/6/18

मो० मिनसार हुसैन, तत्कालीन अधिसूचित कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा- महाराजगंज, प्रमंडल-सीवान सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-महाराजगंज, प्रमंडल-सीवान के विरूद्ध सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत किशनगंज प्रखंड से प्राप्त अस्थायी अग्रिम के विरूद्ध फर्जी विपत्र बनाकर पैसे का बंदर-बाँट करने, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला के जलालपुर प्रखंड एवं अन्य प्रखंडों में प्रचार-प्रसार के नाम पर राशि का गबन करने एवं पूर्णियाँ में चापाकल मरम्मति के नाम पर प्राप्त अस्थायी अग्रिम के विरूद्ध बिना कार्य कराये हुए राशि का गबन करने से संबंधित आरोप का मामला विभाग के संज्ञान में आया।

2. समीक्षोपरान्त मो० हुसैन के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय आदेश संख्या-387, दिनांक-17.06.2015 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० सादुल्लाह जावेद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-निदेशक, पी०एम०यू०, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस बीच श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त के आलोक में पुनः विभागीय आदेश संख्या-316, दिनांक-02.05.2016 के द्वारा श्री दिनेश कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं मो० जावेद को पूर्व की भाँति विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पत्रांक-320, दिनांक-27.02.2017 के द्वारा प्रसंगाधीन जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में मो० हुसैन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-194, दिनांक-21.03.2017 के द्वारा मो० हुसैन को जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेश के आलोक में मो० हुसैन के पत्रांक-शून्य,

दिनांक-10.04.2017 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा मो० हुसैन से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाया गया।

4. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत मो० मिनसार हुसैन, तत्कालीन अधिसूचित कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा- महाराजगंज, प्रमंडल-सीवान सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-महाराजगंज, प्रमंडल-सीवान के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(i) **मो० मिनसार हुसैन, कनीय अभियंता द्वारा प्राप्त अग्रिम के विरूद्ध कुल असमायोजित राशि ₹57,92,291.00 (संतावन लाख बानवे हजार दो सौ एकानवे) रूपये की वसूली।**

(ii) **संचयी प्रभाव के साथ पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक।**

(iii) **अगले पाँच वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।**

Sd/- 20.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०-4-102/2013- 548 पटना, दिनांक- 21/6/18

Email प्रतिलिपि-ज़िला कोषागार पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०-4-102/2013- 548 पटना, दिनांक- 21/6/18

Email- प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मो० मिनसार हुसैन, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-महाराजगंज, प्रमंडल-सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।
20/6/18